आज़ादी का अमृत महोत्सव

भीम BhIM

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक :प.17(1)नविवि/अभियान/2021/ जयपुर दिनांकः 28 JUL 2022

आदेश

ऐसे प्रकरण जिनमें विकासकर्ता/खातेदार द्वारा 90–बी/90–ए की कार्यवाही कराकर ले–आउट प्लान स्वीकृत कराये बिना ही भूखण्डों का विक्रय किया गया है, जिससे कॉलोनियां विकसित हो चुकी हैं तथा विकासकर्ता द्वारा विकास कार्य नहीं कराये जा रहे हैं और न ही रख–रखाव किया जा रहा है तथा रिकॉर्ड भी स्थानीय निकायों में प्रस्तुत नही किया गया है, ऐसे प्रकरणों में विभागीय आदेश दिनांक 20.09.2021 के बिन्दु संख्या 4 के अनुसार दिनांक 30.10.2021 तक विकासकर्ता द्वारा रिकॉर्ड जमा नही कराने पर प्राधिकरण द्वारा सर्वे कराकर ले–आउट प्लान तैयार कर पट्टे दिये जाने का उल्लेख है।

समस्त निकाय क्षेत्रों में कृषि भूमि पर बसी ऐसी कॉलोनियां जिनमें 90–बी/90–ए की कार्यवाही विकासकर्ता/खातेदार द्वारा कराने के उपरांत कॉलोनियां विकसित हो चुकी हैं, किन्तु उनके ले–आउट प्लान स्वीकृत नहीं हुए हैं, जिसके कारण पट्टे जारी नहीं किए जा सके हैं। कृषि भूमि पर बसी ऐसी कॉलोनियों में निम्न प्रकार कार्यवाही की जावेः–

1. यदि कॉलोनी में 25 प्रतिशत से अधिक भूखण्डों पर निर्माण होकर बसावट हो गई है तो सुओ–मोटो सर्वे करवाकर न्यूनतम 40 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र रखते हुए एवं आन्तरिक सडकों की चौडाई न्यूनतम 30 फीट रखते हुए, बसावट के अनुसार ले–आउट प्लान स्वीकृत किये जा सकेंगे।

2. ले–आउट स्वीकृति उपरांत स्वीकृत ले–आउट प्लान के अनुसार भूखण्डधारी के स्वामित्व तथा लिंक दस्तावेजों के आधार पर अभियान अवधि में देय शुल्क, लीज, बाह्य विकास शुल्क, टाउनशिप पॉलिसी–2010 के अनुसार आन्तरिक विकास शुल्क एवं सर्वे शुल्क आदि लेकर पट्टे दिये जा सकेंगे।

3. आन्तरिक विकास शुल्क का निर्धारण संबंधित नगरीय निकाय द्वारा यदि पूर्व में नहीं किया गया है, तो आंतरिक विकास शुल्क निर्धारण करते हुए उसकी राशि भूखण्डधारियों से वसूल की जायेगी।

साथ ही 90–बी/90–ए की कार्यवाही के पश्चात बिना ले–आउट स्वीकृति के भूखण्डों का विक्रय करने, रिकॉर्ड संबंधित निकाय में जमा नहीं कराने तथा विकास कार्य नहीं करवाने पर विकासकर्ता/खातेदार के विरूद्व दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकेगी।

(डॉ. जोगाराम)
शासन सचिव
स्वायत शासन विभाग

राज्यपाल की आज्ञा से

(कुंजी लाल मीना)
प्रमुख शासन सचिव
नगरीय विकास विभाग

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
6. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
8. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
9. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
10. समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
11. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद्/पालिका समस्त राजस्थान।
12. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
13. सचिव, नगरीय विकास विभाग, समस्त राजस्थान।
14. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम